प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति सं. 43/ 2025)

तत्काल प्रकाशन के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने '6 गीगाहर्ट्ज (निचला), 7 गीगाहर्ट्ज, 13 गीगाहर्ट्ज, 15 गीगाहर्ट्ज, 18 गीगाहर्ट्ज, 21 गीगाहर्ट्ज बैंडों, ई-बैंड, और वी-बैंड के माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम के आवंटन' पर एक परामर्श पत्र जारी किया।

नई दिल्ली, 28 मई 2025 – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज **'6 गीगाहर्ट्ज (निचला), 7 गीगाहर्ट्ज, 13 गीगाहर्ट्ज, 15 गीगाहर्ट्ज, 18 गीगाहर्ट्ज, 21 गीगाहर्ट्ज बैंडों, ई-बैंड, और वी-बैंड के माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम के आवंटन'** पर एक परामर्श पत्र जारी किया है।

2. इससे पहले दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने दिनांक 12.08.2022 के एक पत्र के माध्यम से भादूविप्रा से ई एवं वी बैंडों और माइक्रोवेव एक्सेस (एमडब्लूए) और माइक्रोवेव बैकबोन (एमडब्लूबी) स्पेक्ट्रम में 6/ 7/ 13/ 15/ 18/ 21 गीगाहर्ट्ज के आवृति बैंडों में स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए अनुशंसायें प्रदान करने का अनुरोध किया था। इस संबंध में भादूविप्रा ने 'ई एंड वी बैंड्स में स्पेक्ट्रम, और माइक्रोवेव एक्सेस (एमडब्ल्यूए) तथा माइक्रोवेव बैकबोन (एमडब्ल्यूबी) स्पेक्ट्रम के आवंटन' विषय पर हितधारकों की टिप्पणियों के लिए एक परामर्श पत्र जारी किया था।

3. इस बीच दिसंबर 2023 में दूरसंचार अधिनियम, 2023 को अधिनियमित किया गया । दूरसंचार सेवाओं के लिए रेडियो बैकहॉल के संबंध में दूरसंचार अधिनियम, 2023 के प्रावधानों के आलोक में भादूविप्रा ने दिनांक 20.02.2024 को एक पत्र के माध्यम से दूरसंचार विभाग को सूचित किया कि *"दूरसंचार विभाग का संदर्भ दिनांक 12.08.2022 जिसमें भादूविप्रा से (क) ई एवं वी बैंड स्पेक्ट्रम की*

नीलामी की पद्धति और (ख) 6/ 7/ 13/ 15/ 18/ 21 गीगाहर्ट्ज बैंड में एमडब्ल्यूए और एमडब्ल्यूबी आरएफ कैरियरों की आवंटन पद्धति के लिए अपनी अनुशंसाएं प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, दूरसंचार विभाग द्वारा समीक्षा की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए, दूरसंचार विभाग से अनुरोध है कि वह उन विशिष्ट मुद्दों को उपलब्ध कराए जिन पर इस विषय में भादूविप्रा की सिफारिशें अब अपेक्षित हैं।"

4. इसके उत्तर में दूरसंचार विभाग ने 13.09.2024 को एक नए संदर्भ पत्र के माध्यम से भादूविप्रा की इस टिप्पणी से सहमत होते हुए कि बैकहॉल स्पेक्ट्रम दूरसंचार अधिनियम, 2023 की पहली अनुसूची का एक हिस्सा है जिसके लिए आवंटन विधि प्रशासनिक होगी, भादूविप्रा से भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 11(1)(a) के अंतर्गत निम्नलिखित पहलुओं पर अनुशंसायें प्रदान करने का अनुरोध किया:

"

(क) 57-64/66 गीगाहर्ट्ज (वी-बैंड) और (ii) 71-76 गीगाहर्ट्ज/81-86 गीगाहर्ट्ज (ई-बैंड) के लिए मांग मूल्यांकन और सेवा/उपयोग का दायरा और तदनुसार भादूविप्रा द्वारा सेवाओं/उपयोगों के दायरे यानी "एक्सेस" या "बैकहॉल" या "इंटीग्रेटेड एक्सेस एंड बैकहॉल (आईएबी)" के निर्धारण के अनुरूप स्पेक्ट्रम और संबंधित निबंधनों और शर्तों के आवंटन की पद्धति।

(ख) वाणिज्यिक दूरसंचार सेवाओं के बैकहॉल उद्देश्यों के लिए 6 (निचले)/7 /15/ 13/ 18/ 21 गीगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए स्पेक्ट्रम शुल्क और संबंधित निबंधनों और शर्तें जैसे स्पेक्ट्रम कैप, कैरियर एकीकरण, आदि।

(ग) डब्ल्यूआरसी - 2027 के बाद आईएमटी का उपयोग करके एक्सेस के लिए 7/15 गीगाहर्ट्ज बैंडों पर विचार करने को ध्यान में रखते हुए, इन बैंडों के उपयोग के संबंध में समीक्षा की कोई आवश्यकता।

(घ) गैर-आईएमटी बैंड में वाणिज्यिक दूरसंचार सेवाओं की अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी (फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस) के लिए निर्धारित किए जाने वाले स्पेक्ट्रम की मात्रा/ बैंड और स्पेक्ट्रम के आवंटन की पद्धति और संबंधित निबंधन और शर्तें जैसा कि उपर्युक्त पैरा 2.2 में संदर्भित है।

(ङ) गैर-वाणिज्यिक/कैप्टिव उपयोग के लिए बैकहॉल प्रयोजनों के लिए निर्धारित किए जाने वाले स्पेक्ट्रम की मात्रा/बैंड और संबंधित निबंधन और शर्तें जैसा कि उपर्युक्त पैरा 2.2 में संदर्भित है।

(च) वी-बैंड में लाइसेंस-मुक्त आधार पर कम शक्ति, इनडोर, उपभोक्ता डिवाइस-टू-उपभोक्ता डिवाइस के उपयोग की अनुमति देने के लिए व्यवहार्यता और तकनीकी मापदंड, जैसा कि 12-08-2022 के संदर्भ के पैरा 4 (डी) में संदर्भित है।

(छ) उपर्युक्त (क) से (च) के तहत उल्लिखित उद्देश्यों के लिए उपयुक्त समझी जाने वाली कोई अन्य सिफारिशें प्रदान करें।"

5. इस संबंध में, हितधारकों से टिप्पणियां/ प्रति-टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए '6 गीगाहर्ट्ज (निचला), 7 गीगाहर्ट्ज, 13 गीगाहर्ट्ज, 15 गीगाहर्ट्ज, 18 गीगाहर्ट्ज, 21 गीगाहर्ट्ज बैंडों, ई-बैंड, और वी-बैंड के माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम के आवंटन' पर एक परामर्श पत्र को भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर जारी गया है। परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर हितधारकों से 25 जून 2025 तक लिखित टिप्पणियां एवं 9 जुलाई 2025 तक प्रति-टिप्पणियां आमंत्रित की जाती हैं।

6. टिप्पणियां/ प्रतिटिप्पणियां अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में advmn@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं। किसी भी स्पष्टीकरण/ सूचना के लिए श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), भादूविप्रा से दूरभाष क्रमांक +91-11-20907758 पर संपर्क किया जा सकता है।

Atul Chaudhary 28/5/25

(अतुल कुमार चौधरी)

सचिव, भादूविप्रा